



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 983]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 8, 2017/अग्रहायण 17, 1939

No. 983]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 8, 2017/ AGRAHAYANA 17, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2017

**सा.का.नि. 1495(अ).**— केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल इन्जीनियरी (सिविल) योद्धक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, इन्जीनियरी (सिविल) योद्धक (समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. सीमा सुरक्षा बल इन्जीनियरी (सिविल) योद्धक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013, (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात्:-  
"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"
3. उक्त नियमों की अनुसूची में,—  
(क) निरीक्षक (संकर्म) पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,—  
(अ) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-7 ( रू0 44900-142400 /- )”;

(आ) स्तंभ (11) में,—

- (i) “प्रोन्नति” उप शीर्ष के अधीन, टिप्पण-3 का लोप किया जाएगा;
- (ii) “ प्रतिनियुक्ति या आमेलन” उप शीर्ष के अधीन, मद (क) के उप मद(ii), शब्दों, अंकों और अक्षरों “ग्रेड वेतन रू0 4200 /-” के स्थान पर शब्दों, अंको और अक्षरों “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 ( रू0 35400-112400 /- )” रखे जाएंगे;
- (iii) “भूतपूर्व सैनिकों के लिए” उप-शीर्ष के अधीन, टिप्पण -1 का लोप किया जाएगा;

(ख) उप निरीक्षक ( संकर्म )पद से संबंधित कम संख्या 2 के सामने,—

(अ) स्तंभ (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात :

“स्तर-6 (रू0 35400-112400 /- )”.

(ख) स्तंभ (11) में,—

- (i) “प्रोन्नति” उप-शीर्ष के अधीन, टिप्पण-2 का लोप किया जाएगा;
- (ii) “ प्रतिनियुक्ति या आमेलन” उप शीर्ष के अधीन, मद (क) के उप मद(ii) में, शब्दों, अंकों और अक्षरों “ग्रेड वेतन रू0 2400 /-” के स्थान पर शब्दों, अंकों और अक्षरों “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 ( रू0 25500-81100 /- )” रखे जाएंगे;
- (iii) “भूतपूर्व सैनिकों के लिए” उप शीर्ष के अधीन, टिप्पण -1 का लोप किया जाएगा;

[फा. सं.. 17 / 111 / 2016—कार्मिक / सीसुबल]

विनोद कुमार, अवर सचिव (कार्मिक—III)

**टिप्पणः—** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 642(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 761 (अ) दिनांक 03 अगस्त, 2016 द्वारा संशोधित किये गये थे।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2017

**G.S.R. 1495(E).**— In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force Engineering(Civil) Combatant (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2013. namely :-

1. (1) These rules may be called the Border Security Force Engineering (Civil) Combatant (Group 'B' posts), Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force Engineering (Civil) Combatant (Group 'B' posts), Recruitment Rules, 2013 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

"2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.- The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules".

3. In the said rules, in the Schedule,-

(a) against serial number 1 relating to the post of Inspector(Works),-

(A) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

"Level in the pay matrix
(4)
Level-7 (Rs.44900-142400/-);

(B) in column (11),-

- (i) under sub-heading "Promotion", Note 3 shall be omitted;
- (ii) under sub-heading "Deputation or absorption", in item (a), sub-item (ii), for the words, figures and letters "grade pay of Rs.4200", the words, figures and letters "level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400/-)" shall be substituted;
- (iii) under sub-heading "For Ex-serviceman", Note 1 shall be omitted;

(b) against serial number 2 relating to the post of Sub-Inspector(Works),-

(A) in column (4), for the existing entry, following entry shall be substituted, namely :-  
"Level-6 (Rs.35400-112400/-);"

(B) in column (11),-

- (i) under sub-heading "Promotion", Note 2 shall be omitted;
- (ii) under sub-heading "Deputation or absorption", in item (a) sub-item (ii), for the words, figures and letters "grade pay of Rs.2400", the words, figures and letters "level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100/-)" shall be substituted;
- (iii) under sub-heading "For Ex-serviceman", Note 1 shall be omitted.

[F.No.17/111/2016/Pers/BSF]  
VINOD KUMAR, Under Secy. (Pers-III)

**Note:**— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 642(E) dated the 19<sup>th</sup> September, 2013 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 761(E) dated 3<sup>rd</sup> August, 2016.